न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा
(निर्णय बईजलास एल.एन.सोनी आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्याः 40/2018/अपील/आर्म्स एक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 22.10.2010
अन्तर्गत धाराः 18 आर्म्स एक्ट,1959

उनवान

नरेश मीणा आत्मज टीकम चन्द मीणा निवासी ग्राम व पोस्ट गणेशगंज तहसील पीपल्दा जिला कोटा।

...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, कोटा ।

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री अमृत मीणा अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

:::निर्णय:::

दिनांक 6.1.2020

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित आदेश क्रमांक/न्याय/आर्म्स/2017/3385 दिनांक 24.5..2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने उत्तराधिकार की अवधारणा के तहत दादाजी रामनारायण के नाम जारी टोपीदार बन्दूक नं0 275 लाईसेन्स नम्बर 904 को अपने नाम कराने हेतु नवीन लाईसेन्स चाहने बावत आवेदन पत्र जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 कोटा यहां प्रस्तुत किया जिसे जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 कोटा द्वारा पत्रांक 3385 दिनांक 24.5.2017 से तहसील क्षेत्र के लिये उपखण्ड मजिस्ट्रेट इटावा सक्षम होने से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु लौटाने का जेरअपील आदेश क्रमांक/न्याय/आर्म्स/2017/3385 दिनांक 24.5..2017 पारित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा आर्म्स एक्ट की धारा 18 अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा मे पेश कर वर्णित किया कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 कोटा को प्रस्तुत किया था जिसे जेरअपील आदेश से उपखण्ड अधिकारी इटावा को प्रेषित करने हेतु अपीलार्थी को वापस लौटा दिया गया। उपखण्ड अधिकारी इटावा द्वारा आवेदन नही लिया तथा एक माह बाद आने को कहा। एक माह बाद हाजिर होने पर उपजिला मजिस्ट्रेट द्वारा टोपीदार बन्दूक का लाईसेन्स जारी किये जाने से मना कर दिया तद्उपरांत अपीलार्थी द्वारा रजिस्टर्ड पत्र से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नही की गई। जिला मजि0 कोटा द्वारा उक्त आदेश अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पारित किया है जबकि जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 कोटा स्वयं लाईसेन्स जारी करने की आथोरिटी है। अतः अपील स्वीकार कर जेरअपील आदेश निरस्त किया जावे तथा उत्तराधिकार की अवधारणा के तहत नवीन लाईसेन्स अपीलार्थी के नाम जारी करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि आर्म्स रूल्स 2016 के नियम 25 के अन्तर्गत जीवनकाल मे उत्तराधिकार आवधारणा के तहत लाईसेन्स जारी किये जाने के प्रावधान लागू होते है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रावधानों का अवलोकन किये बिना ही विधि विरूद्ध रूप से जेरअपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय को लाईसेन्स जारी करने की शक्तियां प्राप्त है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

विधिक स्थिति के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपील स्वीकार कर उत्तराधिकार की अवधारणा के तहत दादादी का शस्त्र अपीलांट के नाम आर्म्स लाईसेन्स जारी किया जाकर ट्रांसफर करने का आदेश प्रदान किया जावे।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील आदेश न्यायोचित होना प्रकट करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा दादाजी रामनारायण के लाईसेन्स मे दर्ज शस्त्र को उत्तराधिकार की अवधारणा के तहत अपने नाम कराने हेतु आवेदन पत्र जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 कोटा के यहां प्रस्तुत किया गया जिसे जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 कोटा द्वारा पत्रांक 3385 दिनांक 24.5.2017 से तहसील क्षेत्र के लिये उपखण्ड मजिस्ट्रेट इटावा सक्षम होने से उपखण्ड मजि0 इटावा के यहां प्रस्तुत करने हेतु लौटाने का जेरअपील आदेश क्रमांक/न्याय/आर्म्स/2017/3385 दिनांक 24.5.. 2017 पारित किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलार्थी का मुख्य तर्क है कि आर्म्स रूल्स 2016 के नियम 25 के अन्तर्गत जीवनकाल मे उत्तराधिकार आवधारणा के तहत लाईसेन्स जारी किये जाने के प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रावधानों का अवलोकन किये बिना ही विधि विरूद्ध रूप से जेरअपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय को लाईसेन्स जारी करने की शक्तियां प्राप्त है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिक स्थिति के विपरीत है। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा उत्तराधिकार की अवधारणा के तहत दादाजी रामनारायण के नाम जारी टोपीदार बन्दूक नं0 275 लाईसेन्स नम्बर 904 को अपने नाम कराने हेतु नवीन लाईसेन्स चाहने बावत आवेदन पत्र जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 कोटा यहां प्रस्तुत किया है। जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 को उत्तराधिकार की अवधारणा के तहत नियमानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने की शक्तियां प्रदत्त है। अपीलार्थी द्वारा पिता विकंलाग होना बताया है। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय के जेरअपील आदेश को न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील आदेश क्रमांक/न्याय/आर्म्स/2017/3385 दिनांक 24.5..2017 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित/रिमांड किया जाता है कि अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुये उत्तराधिकार शस्त्र अनुज्ञापत्र के प्रावधानों के तहत एवं अपीलार्थी को इस शस्त्र की आवश्यकता के बिन्दू पर भी परीक्षण कर पुनः नियमानुसार स्पीकिंग आदेश पारित करे।

6 निर्णय आज दिनांक 6.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(एल. एन. सोनी)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा